

रीजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED NO. D.D. 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रार्षिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 538] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 1978/अग्रहायण 16, 1900
No. 538] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 1978/AGRAHAYANA 16, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

जीधसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1978

क्र. आ. 703 (अ).—सलीपत्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 6 की
उप धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय
सरकार एसडब्ल्यू द्वारा यह निदेश देती है कि 'दि एक्जोरसिट' (संशोधित) (अंग्रेजी),
नामक फिल्म, जिसे केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 'ए' प्रमाण-पत्र संख्या 4080, दिनांक
27-8-1977 प्रदान किया गया है तथा 'जादू टोना' (हिन्दी) नामक फिल्म जिसे केंद्रीय
फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 'ए' प्रमाण-पत्र संख्या 3383, दिनांक 19 नवम्बर, 1977 प्रदान

914 GI/78

(1507)

किया गया है, का प्रदर्शन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो मास की अवधि के लिए रोक दिया जाए।

[संख्या 9/42/78 एफ. सी.]

आर. के. शास्त्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 1978

S.O. 703(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby directs that the exhibition of the film entitled "The Exorcist (Revised) (English) which has been granted an 'A' certificate No. 4080 dated the 27th August, 1977 and film entitled "Jadu Tona" (Hindi) which has been granted an 'A' certificate No. 3363 dated the 19th November, 1977 by the Central Board of Film Censors, be suspended for a period of two months with effect from the date of issue of this Notification.

[No. 9/42/78-FC]

R. K. SHASTRI, Joint Secy.